

वित्तीय दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: जिलों में नियमित टीकाकरण के लिए शीत-श्रृंखला को सुदृढ़ करने हेतु बजट/एफ०एम०आर शीर्ष (अनुलग्नक के आधार पर): Strengthening of Cold Chain बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर): B5.2.c

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

1. जिला में स्थित शीत श्रृंखला गृह के Refurbishment, अर्थिग वायरिंग करवाने एवं प्रतिरक्षण सम्बन्धी सामग्री (यथा - सिरिज, कोल्ड बॉक्स, वैक्सिन कैरियर, हब कटर, आइस पैक आदि) रखने के लिए एक मुश्त राशि (रु० 700000/- प्रति जिला) का आवंटन किया जा रहा है। इस राशि से वर्तमान में कार्यरत शीत श्रृंखला गृह के मरम्मत जैसे टूट-फुट की मरम्मत, दिवालों का डिस्टम्पर, दरवाजे और खिड़कियों की मरम्मत, फर्श में मार्बल, टाइल्स लगवाना, शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था तथा सिरिज, कोल्ड बॉक्स, वैक्सिन कैरियर, हब कटर, आइस पैक आदि रखने हेतु रैंक की व्यवस्था कराया जाये। शीत श्रृंखला गृह से नीचे दिए गए दिशा-निर्देश के अनुसार ही अर्थिग एवं वायरिंग की व्यवस्था की जाये। शीत श्रृंखला भवन मरम्मत का कार्य भवन विभाग द्वारा कराया जायेगा।
2. सभी प्रा० स्वा० केन्द्रों के शीत श्रृंखला गृह में समुचित अर्थिग एवं वायरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ताकि सभी विद्युतीय उपकरणों (डीप फ्रीजर/आई.एल.आर) को सुचारू रूप से चल सके।
3. शीत श्रृंखला रूम में समुचित वायरिंग एवं अर्थिग हेतु दिशा-निर्देश:-
 - किसी आई.एस.आई मार्क वाली कंपनी (Anchor/Havells) का 3x4 sq mm के तार का इस्तेमाल PVC पाइप में करें।
 - 8" x 6" आकार के बोर्ड पर 32 Amp. का DP Main स्विच लगावें।
 - MCB (Miniature Circuit Breaker) 16 Amp. किसी आई.एस.आई मार्क वाली कंपनी का इस्तेमाल करें।
 - जेनरेटर एवं मेन्स के लिए 32 Amp. का चेन्ज ओवर स्विच लगावें।
 - शीत श्रृंखला गृह में वोल्ट मीटर की व्यवस्था। यह अतिआवश्यक है।
 - किसी आई.एस.आई मार्क वाली कंपनी (Anchor/Havells) का 5 इन 1 पावर साकेट का इस्तेमाल करें।
 - पैनल बोर्ड में शीत श्रृंखला गृह तक किसी आई.एस.आई मार्क वाली कंपनी का 3x10 sqm के तार का इस्तेमाल PVC पाइप
 - उचित अर्थिग हेतु कम से कम 20 फीट के GI पाईप में 10" x 10" के 1.55 mm मोटाई के ताम्बे की प्लेट एवं कोयला (लकड़ी का), नमक एवं 3 mm मोटाई के ताम्बे के तार का उपयोग करें।

उपरोक्त संबंधित दिशा निर्देश की प्रति अंग्रेजी में गत वित्तीय वर्ष में सभी जिलों को भेजी जा चुकी है

ईकाई राशि (रु० लाख में) :-

1. रुपये 7,00,000/- प्रति जिला पूरे वर्ष हेतु।
2. रुपये 1,00,000/- प्रा० स्वा० केन्द्रों हेतु आवश्यकतानुसार (Need Based)

वित्तीय दिशा-निर्देश:-

जिला में कराये गये कार्य को जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा एवं प्रा०स्वा०केन्द्रों में कराये गये कार्य को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा एवं इस मद की राशि का उपयोग भी जिला में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी एवं प्रा०स्वा०केन्द्र पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा। साथ ही कराये गए कार्य की तस्वीर भी संचिका में संलग्न कर सुरक्षित रखें।

जिला एवं प्रा०स्वा०केन्द्रों में अर्थिग एवं वायरिंग से संबंधित सभी प्रकार के कार्य यूनिसेफ द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति/पदाधिकारी की निगरानी में सम्पन्न कराया जाये।

कार्य को सत्यापित करने हेतु जिला स्तर पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करे।

(क)

(ख)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० मदन प्रसाद शर्मा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर : 9470003023

M.P. Sharma
15.06.2011
(डॉ० मदन प्रसाद शर्मा)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार